राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3057/2023
प्रकाश शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर।
4. खुबीराम शर्मा, निजी सहायक ग्रेड–प्रथम, कार्यालय अति.जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भरतपुर, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 06.11.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री नितेश कुमार गर्ग, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी सं.4 की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति शीघ्रलिपिक संयुक्त भर्ती परीक्षा, 2011 के तहत शीघ्रलिपिक के पद पर हुई थी। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 खुबीराम शर्मा की नियुक्ति भी उसी परीक्षा के तहत हुई थी। अपीलार्थी उक्त परीक्षा में मैरिट में निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 से ऊपर था। अपीलार्थी की मैरिट संख्या–13 थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की मैरिट संख्या–32 थी। उक्त परीक्षा पूर्ण करने के पश्चात समस्त अभ्यर्थियों को अलग–अलग जिले आवंटित किये गये। पूर्व में अपीलार्थी को सिरोही जिला एवं निजी प्रत्यर्थी को अलवर जिला आवंटित किया गया। बाद में अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी दोनों को ही गृह जिला भरतपुर आवंटित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने भरतपुर जिले के सम्बन्ध में शीघ्रलिपिक के पद की वरिष्ठता सूची जारी की, जिसमें अपीलार्थी प्रथम स्थान पर एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 द्वितीय स्थान पर थे। अपीलार्थी की कार्य ग्रहण दिनांक 22.05.2017 थी और निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की कार्य ग्रहण दिनांक 09.03.2017 थी। इस कारण से निजी प्रत्यर्थी को 5 वर्ष का वांछित अनुभव होना मानते हुए आदेश

दिनांक 31.03.2023 द्वारा निजी प्रत्यर्थी को वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध निजी सहायक ग्रेड–प्रथम के पद पर पदोन्नति दी गयी। अपीलार्थी का अनुभव 5 वर्ष का होना इस कारण से नहीं माना गया कि अपीलार्थी ने दिनांक 31.03.2017 के बाद कार्य ग्रहण किया था। बाद में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 01.10.2023 के द्वारा वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति दी गयी। अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि तत्समय शीघ्रलिपिक भर्ती परीक्षा के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या–17807/2016 रविन्द्र कुमार सैनी एवं अन्य बनाम कार्मिक विभाग एवं अन्य में आदेश दिनांक 01.02.2017 के द्वारा नियुक्यिों को स्थगित किये जाने का अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया गया था। इस कारण से अपीलार्थी को तत्समय नियुक्ति प्रदान नहीं की गयी। अपीलार्थी के सम्बन्ध में नियुक्ति आदेश बाद में दिनांक 09.05.2017 को जारी किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 22.05.2017 को कार्य ग्रहण किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी की नियुक्ति एक ही भर्ती परीक्षा के आधार पर हुई है, जिसमें अपीलार्थी मैरिट में निजी प्रत्यर्थी से ऊपर है। ऐसे में अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी से पूर्व पदोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिए था। अपीलार्थी को गलत आधार पर लाभ से वंचित रखा गया। क्योंकि अपीलार्थी के पास वांछित अनुभव नहीं होना माना गया है, जबकि अपीलार्थी का वांछित अनुभव उसी दिनांक से गिना जाना चाहिए था, जिस दिनांक से अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों के अनुभव की गणना की गयी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि जहां एक ही परीक्षा के तहत भर्ती की गयी है, वहां पर Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Rules, 1999 के नियम 37 के तहत अपीलार्थी को बाद में कार्य ग्रहण करने पर भी वरिष्ठता प्राप्त होगी। अपीलार्थी का यह भी तर्क है कि समान मामले में राजस्थान सरकार ने राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा के कनिष्ठ लिपिकों के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से राय प्राप्त की थी एवं कार्मिक विभाग द्वारा यह राय दी गयी कि अंतिम मैरिट लिस्ट में विलम्ब से कार्य ग्रहण करने वाले कार्मिक से कनिष्ठ राजसेवक का जो अनुभव होगा वहीं अनुभव उनका माना जावेगा। बशर्ते की कार्यग्रहण में विलम्ब के लिये राजसेवक किसी स्तर/परिस्थिति में दोषी नहीं हो। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि कार्मिक विभाग की उपरोक्त राय के अनुसार शीघ्रलिपिक भर्ती परीक्षा, 2011 में दिनांक 01.04.2017 के बाद कार्य ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को भी वर्ष

2022–23 में पदोन्नति प्रदान की गयी है। अपीलार्थी भी वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है, जबकि अपीलार्थी को वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति न देकर अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नति दी गयी है, जो उचित नहीं है।

2. निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी की पदोन्नति कार्मिक विभाग राजस्थान, जयपुर के पदोन्नति के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश क्रमांक प.2(1)कार्मिक/क–2/अं.प्र./91 दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या–15.1 की पालना मं अनुभव पूर्ण नहीं होने के कारण पदोन्नति नहीं की गई। चूंकि राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के अनुसार पदोन्नति में अनुभव 5 वर्ष का होना आवश्यक है, लेकिन अपीलार्थी द्वारा 01.04.2022 की स्थिति में वांछित अनुभव नहीं रखता है, जो कि मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के विपरित है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी की पदोन्नति कार्मिक विभाग राजस्थान जयपुर के पदोन्नति के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश क्रमांक प.2(1)कार्मिक/क–2/अं.प्र./91 दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या–15.1 की पालना मं अनुभव पूर्ण नहीं होने के कारण पदोन्नति नहीं की गई।

4. इस प्रकार निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 एवं राज्य सरकार दोनों ने अपीलार्थी को वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति नहीं दिये जाने का कारण यह अंकित किया है कि अपीलार्थी के पास वांछित अनुभव का अभाव था। उनका कथन रहा है कि अपीलार्थी ने दिनांक 31.03.2017 के पश्चात कार्य ग्रहण किया है। इस कारण से अपीलार्थी के अनुभव की गणना दिनांक 01.04.2018 से की जाएगी और निजी प्रत्यर्थी ने दिनांक 31.03.2017 से पूर्व कार्य ग्रहण कर लिया था। इस कारण से निजी प्रत्यर्थी के अनुभव की गणना दिनांक 01.04.2017 से की जाएगी। निजी प्रत्यर्थी का दिनांक 01.04.2022 को 5 वर्ष का वांछित अनुभव पूर्ण होता है। इस कारण से निजी प्रत्यर्थी को वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति दी गयी, जबकि अपीलार्थी के पास दिनांक 01.04.2022 को 5 वर्ष का अनुभव नहीं था। इस कारण से अपीलार्थी को वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति नहीं दी गयी है।

5. हमनें समस्त पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

6. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा रिट याचिका संख्या–13204/2024 में पारित निर्णय दिनांक 23.09.2024 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :–

> "Looked at from another angle, if the date of appointment/joining of a candidate is taken into consideration for preparation of the seniority list, it may lead to discrepancies and chaotic/haphazard situation. For example, if a person who stood higher in the select list/merit list and was directed to join at a particular Panchayat Samiti or Zila Parishad, but for reasons beyond his/her control, he/she is unable to join on the given date and if a person lower in merit joins the place of posting earlier to that person, he will be given seniority above the meritorious person. For no fault of a senior person, he will loose his seniority viz-a-viz a junior person who has joined earlier despite being lower in merit. Such course of action was never intended by the legislature, therefore, the scheme of things as devised by the legislature, clearly shows that the seniority of LDC (Junior Assistant) should be assigned as per the merit list prepared by the District Establishment Committee."

7. हम पाते हैं कि अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी दोनों ने एक ही भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जिसमें अपीलार्थी की मैरिट संख्या निजी प्रत्यर्थी से ऊपर थी, परन्तु अपीलार्थी को नियुक्ति पत्र दिनांक 09.05.2017 को जिला कलेक्टर, भरतपुर द्वारा जारी किया गया, जिसके पश्चात अपीलार्थी ने दिनांक 22.05.2017 को कार्य ग्रहण किया। निजी प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से पूर्व दिनांक 09.03.2017 को ही कार्य ग्रहण कर लिया था। इस प्रकार एक ही परीक्षा से परिणाम के पश्चात निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी से पूर्व नियुक्ति प्रदान की गयी और अपीलार्थी को बाद में नियुक्ति प्रदान की गयी। अपीलार्थी जो कि मैरिट में ऊपर था, उसे निजी प्रत्यर्थी से कनिष्ठ नहीं किया जा सकता। वांछित अनुभव नहीं होने के आधार पर अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जाना उचित नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी को समय पर नियुक्ति आदेश नहीं दिये जाने में अपीलार्थी की कोई त्रुटि नहीं रही है। इस अधिकरण के समक्ष यह प्रकट हुआ है कि नियुक्ति के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या–17807/2016 रविन्द्र कुमार सैनी बनाम कार्मिक विभाग ने अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 01.02.2017 पारित किया था। इस अंतरिम स्थगन आदेश के विपरित जाकर निजी प्रत्यर्थी को नियुक्ति दिनांक 09.03.2017 को दी गयी। तो इस आधार पर निजी प्रत्यर्थी अपीलार्थी से पूर्व पदोन्नति का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। अपीलार्थी को माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को दृष्टिगत रखते हुए बाद में नियुक्ति दी गयी है, जिसमें अपीलार्थी की कोई त्रुटि नहीं है। समान मामले में कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा के शीघ्रलिपिकों के

सम्बन्ध में यह राय दी गई है कि विलम्ब से कार्य ग्रहण करने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग ने यह माना कि कनिष्ठ राजसेवक का जो अनुभव है, वही अनुभव उक्त कार्मिकों का माना जाएगा बशर्ते कि कार्य ग्रहण में विलम्ब में राजसेवक किसी स्तर/परिस्थिति में दोषी नहीं हो। वर्तमान मामले में कार्मिक विभाग की राय के अनुसार भी अपीलार्थी का वही अनुभव माना जाएगा जो उससे कनिष्ठ राजसेवक अर्थात निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 खुबीराम शर्मा का माना गया है। ऐसे में अपीलार्थी वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति के लिये योग्य माना जा सकता है।

8. उपरोक्त समस्त परिस्थितियों एवं विवेचना के आधार पर हम पाते हैं कि अपीलार्थी भी वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध वांछित अनुभव पूरा करना माना जा सकता है। अतः अपीलार्थी के रिक्ति वर्ष में पदोन्नति के लिये विचार में रखा जा सकता था। अपीलार्थी को वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रक्रिया से वंचित रखा जाना उचित नहीं है।
9. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध शीघ्रलिपिक पद से निजी सहायक ग्रेड–प्रथम के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी का अनुभव पूर्ण होना मानते हुए उक्त पदोन्नति के लिये रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाए एवं यदि अपीलार्थी वर्ष 2022–23 के लिये पदोन्नति हेतु अन्य प्रकार से योग्य पाया जाता है तो उसे वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए। इस आदेश की पालना 2 माह में सुनिश्चित की जाए। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)